



NatWest

NatWest Markets Cheque Collection Policy

NatWest Markets is in the process of simplification of banking operations in India. Products and services are being curtailed in a phased manner. To know more on the specific dates for curtailment of services, please refer communication sent to you on bank simplification.

Introduction

As per the guidelines of Reserve Bank of India and the transition strategy of NatWest Markets (NatWest Markets), the Bank has revised its Cheque Collection Policy, which covers Local cheques. The outstation and foreign currency cheque collection services have been withdrawn effective 31 July 2016

The details of the policy are as follows

Deposit Location	Payable Location	Credit Arrangement
* NatWest Markets Branch	<ul style="list-style-type: none"> All banks under CTS clearing Cut-off time for accepting cheques at NatWest Markets <p>CIB Branches</p> <ul style="list-style-type: none"> Monday – Saturday # 4:30 PM <p>Retail Branches</p> <ul style="list-style-type: none"> Monday – Saturday # 1:00 PM # 2nd and 4th Saturday of every month will be observed as a Bank holiday 	<ul style="list-style-type: none"> Cheques received are presented in CTS/Non-CTS Clearing CTS Clearing is functional on all CTS working days Non-CTS Clearing is functional on Mondays only If cheque presentment date is Day 0, then Value funds will be available to customer on Day 1, Clear funds will be available on Day 2 subject to clearance of cheque (The above is subject to local clearing house arrangements for clear funds)

Speed Clearing

Banks that have implemented CBS can locally pay outstation cheques of Bank/branches covered under CBS without having to physically send the cheque to the branch of the drawee for clearing. Outstation cheques drawn on branches/Banks covered under the CBS will effectively be treated as local cheques for clearing purposes saving time and cost of collection, thus benefiting the customers. NatWest Markets offer speed clearing for all banks/branches listed under speed clearing. Cheques of any of the listed Speed clearing Banks are treated as local cheques and are not charged with cheque collection charges. Also any outstation cheques payable at any of the listed Speed clearing banks will be treated as Local Clearing cheques

CTS Clearing & Treatment of Non CTS 2010 Standards Compliant Cheques

- NatWest Markets participates in CTS clearing in all the grids covering below listed cities. Inward & Outward clearing both are handled in these grids. NatWest Markets Participates in CTS Inward and Outward Clearing at the following locations

Branch	Clearing Grid
Mumbai	National Grid

- For CTS & Non-CTS cheques Value funds shall be credited on Day+1 and Clear funds on Day+2 subject to clearance of cheque (where Day 0 is the date of presentment of cheque in CTS/Non-CTS Clearing)

Retrieval of Cheques

The bank will provide the cheque/image of cheque/debit instruction or a copy thereof as evidence as long as records are available with the bank if there is a dispute about a cheque paid/debit instructions from your account and in case the request for such cheque, etc. is made within a period of one year from the date of cheque/debit instruction without any charges. For requests received beyond this period, charges will be levied as per the Tariff Schedule.

Interest of Delayed Credits (INR cheques)

NatWest Markets shall pay to its Customers interest on delayed credit for both local INR cheques beyond the time frames mentioned below. This compensation will be paid only if the delay in realization of the cheque is on account of NatWest Markets. Compensation shall be paid by NatWest Markets at the prevalent Savings Bank account interest rate on the instrument amount for the number of days delayed beyond the mentioned time frames (Annexure) to credit the account.

The above is subject to the following

- Timely receipt of instruments at the processing hubs (which is dependent on external agencies)
- All days considered for calculations are working days only
- Force Majeure situations
- Reasons and situations beyond control of the bank
- RBI/Clearing house delays/cases of strikes, lockout etc.

Cheques/CC or DD Misplaced (INR cheques)

NatWest Markets shall pay to its Customer, compensation in the event of an instrument(s) being deposited is lost by the bank while the cheque is in bank's custody. The compensation will be paid at the prevalent Savings Bank Account interest rate. The Bank will also duly compensate the customer any additional bank charges which may arise while taking necessary steps to arrange for a duplicate subject to documentary evidence being in place.

Cheque Return Charges [INR Clearing]

The bank will return any unpaid cheques and out-of-date [stale] cheques to the customer. The bank will levy Cheque return charges only in cases where the customer is at fault and is responsible for such cheque returns. The illustrative, but not exhaustive, list of returns, where the customers are not at fault are indicated below.

Reason for Return:

- Credit Freeze/Debit Freeze/Total Freeze
- Instrument mutilated; requires bank's guarantee
- Clearing House stamp/date required
- Wrongly delivered/not drawn on us
- Present in proper zone
- Instrument contains extraneous matter
- Image not clear; present again with paper

- Present with document
- Item listed twice
- Paper not received
- Crossed to two banks
- Crossing stamp not cancelled
- Clearing stamp not cancelled
- Instrument specially crossed to another bank
- Payee's endorsement irregular/requires collecting bank's confirmation
- Endorsement by mark/thumb impression requires attestation by Magistrate with seal
- Advice not received
- Amount/Name differs on advice
- Drawee bank's fund with sponsor bank insufficient (applicable to sub-members)
- Payee's separate discharge to bank required
- Not payable till 1st proximo
- Pay order requires counter signature
- Required information not legible/correct
- Bank's certificate ambiguous/incomplete/required
- Draft lost by issuing office; confirmation required from issuing office
- Bank/Branch blocked
- Digital Certificate validation failure
- Other reasons-connectivity failure
- Bank excluded
- Payee's a/c Credited' – Stamp required

Cheques that require no recourse to the payee, will be presented by NatWest Markets in the immediate next clearing not later than 24 hours (excluding holidays) with due notification to the customers of such re-presentation through SMS alert, email etc.



NatWest

नेटवेस्ट मार्केट्स चेक संग्रहण नीति

नेटवेस्ट मार्केट्स भारत में बैंकिंग परिचालन को सरल बनाने की प्रक्रिया में है। उत्पादों और सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है। सेवाओं में कटौती की विशिष्ट तिथियों के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया बैंक सरलीकरण पर आपको भेजे गए संचार को देखें।

भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और नेटवेस्ट मार्केट्स (नेटवेस्ट मार्केट्स) की ट्रांजीशन रणनीति के अनुसार, बैंक ने अपनी चेक संग्रहण नीति को संशोधित किया है, जिसमें स्थानीय चेक शामिल हैं। 31 जुलाई 2016 से आउटस्टेशन और विदेशी मुद्रा चेक संग्रहण सेवाएँ वापस ले ली गई हैं।

नीति का विवरण निम्नानुसार है

जमा का स्थान	देय स्थान	क्रेडिट व्यवस्था
* नेटवेस्ट मार्केट्स शाखा	<ul style="list-style-type: none"> सीटीएस समाशोधन के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक नेटवेस्ट मार्केट्स में चेक स्वीकार करने हेतु कट-ऑफ समय <p>सीआईबी शाखाएं</p> <ul style="list-style-type: none"> सोमवार-शनिवार # 4:30 अपराह्न <p>रिटेल शाखाएं</p> <ul style="list-style-type: none"> सोमवार-शनिवार # 1:00 अपराह्न <p># हर महीने का दूसरा और चौथा शनिवार बैंक अवकाश होगा</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्राप्त चेक सीटीएस/गैर-सीटीएस समाशोधन में प्रस्तुत किए जाते हैं सीटीएस समाशोधन सभी सीटीएस कार्य दिवसों पर कार्यशील होता है गैर-सीटीएस समाशोधन केवल सोमवार को क्रियाशील होता है यदि चेक प्रस्तुत करने की तिथि दिन 0 है, तो ग्राहक को मूल्य निधि दिन 1 पर उपलब्ध होगी, चेक के समाशोधन के अधीन दिन 2 पर समाशोधित निधि उपलब्ध होगी (उपर्युक्त समाशोधित निधि के लिए स्थानीय समाशोधन गृह व्यवस्था के अधीन है)

स्पीड क्लियरिंग

जिन बैंकों ने सीबीएस लागू किया है, वे बिना चेक को समाशोधन के लिए आहर्ता की शाखा में भौतिक रूप से भेजे सीबीएस के अंतर्गत आने वाले बैंक/शाखाओं के बाहरी चेक का स्थानीय रूप से भुगतान कर सकते हैं। सीबीएस के अंतर्गत आने वाली शाखाओं/बैंकों पर आहरित बाहरी चेक को समाशोधन के उद्देश्य से प्रभावी रूप से स्थानीय चेक के रूप में माना जाएगा, जिससे संग्रहण का समय और लागत बचती है, जिससे ग्राहकों को लाभ होता है। नेटवेस्ट मार्केट्स स्पीड क्लियरिंग के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी बैंकों/शाखाओं के लिए स्पीड क्लियरिंग प्रदान करता है। किसी भी सूचीबद्ध स्पीड क्लियरिंग बैंक के चेक को स्थानीय चेक माना जाता है और उन पर चेक संग्रहण शुल्क नहीं लगाया जाता है। साथ ही किसी भी सूचीबद्ध स्पीड क्लियरिंग बैंक में देय किसी भी बाहरी चेक को स्थानीय क्लियरिंग चेक माना जाएगा।

सीटीएस समाशोधन एवं गैर सीटीएस 2010 मानक के अनुरूप चेकों का निपटान

- नेटवेस्ट मार्केट्स नीचे सूचीबद्ध शहरों को कवर करने वाले सभी ग्रिड में सीटीएस क्लियरिंग में भाग लेता है। इन ग्रिड में इनवर्ड और आउटवर्ड क्लियरिंग दोनों को संभाला जाता है। नेटवेस्ट मार्केट्स निम्नलिखित स्थानों पर सीटीएस इनवर्ड और आउटवर्ड क्लियरिंग में भाग लेता है

शाखा	समाशोधन ग्रिड
मुंबई	राष्ट्रीय ग्रिड

- सीटीएस और गैर-सीटीएस चेक के लिए मूल्य निधि दिन +1 पर जमा की जाएगी और चेक की निकासी के अधीन दिन +2 पर समाशोधन निधि जमा की जाएगी (जहां दिन 0 सीटीएस/गैर-सीटीएस समाशोधन में चेक प्रस्तुत करने की तारीख है)

चेक की पुनर्प्राप्ति

यदि आपके खाते से भुगतान किए गए चेक/डेबिट निर्देशों के बारे में कोई विवाद है और यदि चेक/डेबिट निर्देश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे चेक आदि के लिए अनुरोध किया जाता है, तो बैंक सबूत के तौर पर चेक/चेक की इमेज/डेबिट निर्देश या उसकी एक प्रति प्रदान करेगा, जब तक कि बैंक के पास रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। इस अवधि के बाद प्राप्त अनुरोधों के लिए, टैरिफ अनुसूची के अनुसार शुल्क लगाया जाएगा।

विलंबित जमा पर ब्याज (भारतीय रुपये का चेक)

नेटवेस्ट मार्केट्स अपने ग्राहकों को नीचे उल्लिखित समय सीमा के बाद दोनों स्थानीय आईएनआर चेक के लिए विलंबित क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान करेगा। यह मुआवजा केवल तभी दिया जाएगा जब चेक की प्राप्ति में देरी नेटवेस्ट मार्केट्स के कारण हुई हो। नेटवेस्ट मार्केट्स द्वारा खाते में क्रेडिट करने के लिए उल्लिखित समय सीमा (अनुलग्नक) से परे विलंबित दिनों की संख्या के लिए साधन राशि पर प्रचलित बचत बैंक खाता ब्याज दर पर मुआवजा दिया जाएगा।

उपरोक्त निम्नलिखित के अधीन है

- प्रसंस्करण केंद्रों पर उपकरणों की समय पर प्राप्ति (जो बाहरी एजेंसियों पर निर्भर है)
- गणना के लिए विचार किए जाने वाले सभी दिन केवल कार्य दिवस हैं
- अप्रत्याशित परिस्थितियाँ
- बैंक के नियंत्रण से परे कारण और परिस्थितियाँ
- आरबीआई/समाशोधन गृह की देरी/हड़ताल, तालाबंदी आदि के मामले।

चेक/सीसी या डीडी गुम हो जाना (भारतीय रुपये के चेक)

नेटवेस्ट मार्केट्स अपने ग्राहक को उस स्थिति में मुआवजा देगा, जब चेक बैंक की अभिरक्षा में रहते हुए जमा किया जा रहा कोई लिखत बैंक द्वारा खो दिया जाता है। यह मुआवजा प्रचलित बचत बैंक खाता ब्याज दर पर दिया जाएगा। बैंक ग्राहक को किसी भी अतिरिक्त बैंक शुल्क की भी विधिवत भरपाई करेगा जो दस्तावेज़ी साक्ष्य के अधीन डुप्लिकेट की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाते समय हो सकता है।

चेक वापसी शुल्क [आईएनआर समाशोधन]

बैंक ग्राहक को बिना भुगतान वाले चेक और पुराने चेक लौटा देगा। बैंक केवल उन मामलों में चेक वापसी शुल्क लगाएगा जहां ग्राहक की गलती है और ऐसे चेक वापसी के लिए वह जिम्मेदार है। वापसी की उदाहरणात्मक, असंपूर्ण, सूची, जहां ग्राहक की गलती नहीं है, नीचे दी गई है।

वापसी के कारण:

- क्रेडिट फ्रीज़/डेबिट फ्रीज़/टोटल फ्रीज़
- लिखत क्षतिग्रस्त; बैंक की गारंटी की आवश्यकता है

- समाशोधन गृह स्टाम्प/तारीख की आवश्यकता है
- गलत तरीके से डिलीवर किया गया/हमारे नाम पर नहीं बनाया गया
- उचित क्षेत्र में मौजूद
- लिखित में बाहरी सामग्री है
- इमेज स्पष्ट नहीं है; दस्तावेज के साथ पुनः प्रस्तुत करें
- दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें
- मद दो बार सूचीबद्ध
- दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ
- दो बैंकों को क्रॉस किया
- क्रॉसिंग स्टाम्प रद्द नहीं किया गया
- क्लियरिंग स्टाम्प रद्द नहीं किया गया
- किसी अन्य बैंक को विशेष रूप से क्रॉस किया गया लिखत
- आदाता का पृष्ठांक अनियमित है/संग्रहकर्ता बैंक की पुष्टि की आवश्यकता है
- चिह्न/अंगूठे के निशान द्वारा समर्थन को मजिस्ट्रेट द्वारा मुहर के साथ सत्यापन की आवश्यकता है
- सलाह प्राप्त नहीं हुई
- सूचना पर राशि/नाम भिन्न है
- प्रायोजक बैंक के साथ आहर्ता बैंक का कोष अपर्याप्त है (उप-सदस्यों पर लागू)
- आदाता का बैंक को अलग से डिस्चार्ज आवश्यक है
- प्रथम आगामी माह तक भुगतान योग्य नहीं
- भुगतान आदेश के लिए प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता है
- आवश्यक जानकारी सुपाठ्य/सही नहीं है
- बैंक का प्रमाणपत्र अस्पष्ट/अपूर्ण/आवश्यक है
- जारीकर्ता कार्यालय द्वारा ड्राफ्ट खो दिया गया है; जारी करने वाले कार्यालय से पुष्टि आवश्यक है
- बैंक/शाखा अवरुद्ध
- डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन विफलता
- अन्य कारण- कनेक्टिविटी विफलता
- बैंक बहिष्कृत
- आदाता के खाते में जमा - स्टाम्प आवश्यक

जिन चेकों के लिए आदाता से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें नेटवेस्ट मार्केट्स द्वारा तत्काल अगले समाशोधन में अधिकतम 24 घंटे के भीतर (छुट्टियों को छोड़कर) प्रस्तुत किया जाएगा तथा एसएमएस अलर्ट, ईमेल आदि के माध्यम से ग्राहकों को ऐसे पुनः प्रस्तुतीकरण की विधिवत सूचना दी जाएगी।